

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ-226025

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)

Vidya Vihar, Rae Bareilly Road, Lucknow-226025

पत्रांक : 2025/SC/ST Cell/BBAU/2020

दिनांक: 23.10.20

परिपत्र

जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी पत्रांक- सी-3375/स0 क0/छात्रवृत्ति/2020-21 दिनांक 21 अक्टूबर 2020, के क्रम में यह अवगत कराना है कि निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के पत्रांक सी-1875 दिनांक 19.10.2020 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आधार प्रमाणीकरण के लिये छात्र को तीन अवसर देते हुए इस आशय की चेतावनी छात्र/छात्रा को आधार नम्बर भरते समय छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित हो रही है तथापि कई छात्र/छात्राओं द्वारा प्रथम तीन अवसरों पर आधार नम्बर/छात्र/छात्रा का सही नाम/सही जन्म तिथि के अंकन करने के कारण ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने में अवरोध आ गया है। इसको दृष्टिगत रखते हुये छात्र हित में शासन के आदेश दिनांक 01-10-2020 द्वारा आधार प्रमाणीकरण में छात्र का आधार नंबर, नाम एवं जन्म तिथि सहित आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. आधारित जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) होने के लिए छात्र को प्रथम तीन अवसर पूर्ण करने के पश्चात् और तीन अवसर दिया गया है। यह अतिरिक्त तीन अवसर प्रथम तीन अवसरों को पूर्ण करने के बाद आवेदन पत्र न भर पाने के स्थिति में तीन दिन के बाद (72 घण्टे के उपरान्त) उपलब्ध होगा।

अतः आधार प्रमाणीकरण हेतु प्रथम तीन अवसर समाप्त के उपरान्त पुनः 72 घण्टे के पश्चात् 03 अतिरिक्त अवसर ही मिलेंगे।

५.२५.१०
कुलसचिव

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

1. समस्त विभागों/पाठ्यक्रमों के विभागाध्यक्ष/समन्वयक।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, वा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
3. सहायक कुलसचिव, कुलपति कार्यालय, वा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
4. निजी सचिव, कुलसचिव कार्यालय, वा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, वा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
6. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

नोडल अधिकारी
(दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति)

प्रेषक

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
लखनऊ।

संख्या :-

कुल सचिव / निदेशक / प्रबन्धक
समस्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / टेविनकल /
मेडिकल / पैरा मेडिकल / इंजीनियरिंग / पालीटेक्निक /
आईटीआई संस्थान।

पत्रांक 3375

/सं0/ छात्रवृत्ति / 2020-21 दिनांक 21 अक्टूबर 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्वदशम (कक्षा-9-10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन पत्रों में आधार प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित तीन बार से अधिक सुविधा प्रदान किये जाने एवं स्पेलिंग संकधी गलती को लागिन से सत्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया निदेशालय समाज कल्याण उ०प्र०, लखनऊ के पत्र सं०-सी-1875 दिनांक 19.10.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट कर जिसके द्वारा अदम्य कराया गया है कि आधार प्रमाणीकरण के लिए छात्र को तीन अवसर दते हुए इस आशय की चेतावनी छात्र/छात्रा को आधार नम्बर भरते समय छात्रवृत्ति वेबसाईट प्रदर्शित हो रही है तथापि कई छात्र/छात्राओं द्वारा प्रथम तीन अवसरों पर आधार नम्बर / छात्र/छात्रा का सही नाम, सही जन्मतिथि के अंकन करने के कारण आनलाइन आवेदन पूर्ण करने में अवरोध आ गया। इसका दृष्टिगत रखते हुए छात्र हित में शासन के आदेश दिनांक 01.10.2020 द्वारा आधार प्रमाणीकरण में छात्र का आधार नम्बर नाम एवं जन्म तिथि सहित आधार लिंक मोबाईल नम्बर पर ओटीपी आधारित जन सांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) होने के लिए छात्र को प्रथम तीन अवसर पूर्ण करने के पश्चात और तीन अवसर दिया गया है। यह अतिरिक्त तीन अवसर प्रथम तीन अवसरों को पूर्ण करने के बाद आवेदन पत्र भर जाने के दिवस में तीन दिन के आद (72 घण्टे के उपरान्त) उपलब्ध होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में छात्र/छात्राओं को अपने स्तर से अदम्य करा द आधार प्रमाणीकरण हेतु प्रथम तीन अवसर समाप्त के उपरान्त पुनः 72 घण्टे के पश्चात 03 अतिरिक्त अवसर ही मिलेंगे।

भवदीय

(डॉ० अमर नाथ यादव)

जिला समाज कल्याण अधिकारी

लखनऊ

पृष्ठांकन सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखनऊ।
4. उपनिदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ अपने स्तर से समस्त विद्यालयों को सूचित कराने का कष्ट करें।
6. उपनिदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग जनपद लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी

लखनऊ